

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-3/एल-01-08/2023-

22(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक:

10/01/25

बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग निम्नांकित चिकित्सा पदाधिकारियों को कंडिका-03 में अंकित प्रयोजन हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है:-

क्र० स०	चिकित्सक का नाम	अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रयोजन
01	02	03
01	डा० ज्योति प्रकाश, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, चिरांद, सारण	एम्स द्वारा आयोजित INI-CET, 2025 के परीक्षा के चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त अध्ययन/प्रशिक्षण अवधि में विभाग या पदस्थापित स्वास्थ्य संस्थान से वेतन या अन्य भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।
02	डा० प्रगति राज, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बछवाड़ा, बेगूसरय	एम्स द्वारा आयोजित INI-CET, 2025 के परीक्षा के चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त अध्ययन/प्रशिक्षण अवधि में विभाग या पदस्थापित स्वास्थ्य संस्थान से वेतन या अन्य भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।
03	डा० पूनम, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालीगंज, पटना	ESIC PGIMSRs and ESIC Medical College द्वारा विज्ञापित सहायक प्राध्यापक पद के चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुमति इस शर्त के साथ कि चयनोपरान्त योगदान पूर्व वर्तमान धारित पद से त्यागपत्र देना होगा।
04	डा० आशा कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, छपरा, सारण	स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के विज्ञापन सं० BCECEB/Health/2024 द्वारा विज्ञापित सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु।
05	डा० अभिषेक रंजन, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, शेखपुरा	स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के विज्ञापन सं० BCECEB/Health/2024 द्वारा विज्ञापित सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु।

02. क्रम सं० 04 पर अंकित चिकित्सक (बौण्ड से आच्छादित) को कॉलम-03 में अंकित पाठयक्रम हेतु विभागीय आदेश सं० 914(1) दिनांक 06.10.2020 संह-पठित-शुद्धि पत्र सं० 915(1) दिनांक 10.10.2020 में निहित शर्तों के आलोक में काउंसलिंग/नामांकन हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

03. उक्त चिकित्सा पदाधिकारी अध्ययन/प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के पूर्व अपने-अपने नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत विरमित होना सुनिश्चित करेंगे।

04. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :

22(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक 10 / 01 / 2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग बिहार, पटना/संबंधित प्राचार्य/संबंधित अधीक्षक/संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, 2, 8, 9 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

W. Pathak 10/1/25
सरकार के अवर सचिव